भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5241

02 अप्रैल, 2025 के लिए प्रश्न

गन्ना किसानों को सहायता

5241. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में गन्ने की खेती का कुल क्षेत्रफल कितना है, और उत्पादन तथा प्रति हेक्टेयर उपज के आंकड़े क्या हैं;

(ख) राज्य में कितनी चीनी मिलें चालू हैं और हाल के वर्षों में बंद हुई मिलों की संख्या कितनी है और उनके बंद होने के क्या कारण हैं;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) और राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) कितना-कितना रहा है और क्या किसानों को भुगतान में कोई विलंब हुआ है;

(घ) एथनॉल मिश्रण और अवसंरचना विकास के लिए सरकारी सहायता, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है और राज्य में गन्ने से एथनॉल उत्पादन की स्थिति क्या है;

(ङ) गन्ना किसानों को जल उपलब्धता, बढ़ती आदान लागत, जलवायु प्रभाव और विपणन संबंधी बाधाओं सहित किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है; और

(च) आंध्र प्रदेश में गन्ना किसानों और चीनी मिलों को प्रदान किए गए राहत उपायों का ब्यौरा क्या है और लंबित वित्तीय सहायता और राजसहायता का बकाया, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): सूचना **अनुबंध I** पर दी गई है।

(ख): आंध्र प्रदेश में चालू चीनी मौसम 2024-25 (अक्तूबर-सितंबर) के दौरान कुल 29 चीनी मिलों में से 5 चीनी मिलें प्रचालनरत हैं। शेष 24 चीनी मिलें पर्याप्त गन्ना उपलब्ध न होने, अन्य वित्तीय समस्याओं आदि के कारण पेराई कार्य नहीं कर सकीं।

(ग): केंद्र सरकार द्वारा घोषित उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) आंध्र प्रदेश राज्य के लिए लागू है, तथा कोई अलग से राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) लागू नहीं है। पिछले पांच वर्षों तथा चालू वर्ष में गन्ने के लिए एफआरपी **अनुबंध II** पर दिया गया है। किसानों को गन्ना भुगतान एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले 5 वर्षों तथा चालू वर्ष में गन्ना बकाया की स्थिति निम्नानुसार है:-

चीनी मौसम	बकाया राशि (करोड़ रुपये में)
2019-20	35.92
2020-21	बकाया नहीं
2021-22	बकाया नहीं
2022-23	बकाया नहीं
2023-24	7.16
2024-25	44.67

(घ): राज्य में कार्यरत 5 चीनी मिलों में से, केवल 4 चीनी मिलें इथेनॉल का उत्पादन कर रही हैं। 2023-24 मौसम के दौरान इथेनॉल उत्पादन 3.43 करोड़ लीटर था और 2024-25 मौसम के दौरान अनुमानित इथेनॉल उत्पादन 4.58 करोड़ लीटर है।

इसके अलावा, सरकार ने चीनी मिलों और डिस्टिलरी को अपनी इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2018 से 2022 तक विभिन्न इथेनॉल ब्याज सहायता योजनाओं को अधिसूचित किया है (वर्ष 2021 में अनाज से इथेनॉल उत्पादन भी इन योजनाओं के तहत शामिल किया गया था)।

इन सभी सहायता योजनाओं के तहत, सरकार परियोजना समर्थकों को बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने की सुविधा प्रदान कर रही है, जिसके लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा लगाए गए ब्याज का 50% या 6%, की दर से ब्याज सहायता जो भी कम हो, एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित पांच साल की अवधि के लिए सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

(ङ): ऊपरी इलाकों में विशेषकर उत्तरी तटीय जिलों और चित्तूर जिले में पानी की उपलब्धता सीमित है । आंध्र प्रदेश में खेती की लागत प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों की तुलना में अधिक है, विशेषकर उच्च श्रम लागत के कारण।

आंध्र प्रदेश में अधिकांश चीनी मिलें तटीय क्षेत्र में स्थित हैं। अपर्याप्त गन्ना पेराई और जलवायु परिस्थितियों अर्थात दिन और रात के समय के बीच तापमान में कम दैनिक परिवर्तन के कारण चीनी की रिकवरी कम है।

(च): आंध्र प्रदेश राज्य में आम तौर पर चीनी मिलें अपने गन्ना उत्पादकों को उनकी वित्तीय स्थिति के आधार पर सब्सिडी/मुफ्त/ब्याज मुक्त आधार पर बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कटाई, परिवहन और ड्रिप सिंचाई के लिए सहायता प्रदान कर रही हैं। राज्य सरकार जब भी आवश्यक हो सहकारी चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

****

अनुबंध I

लोक सभा में दिनांक 2.04.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5241 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आंध्र प्रदेश में गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज दर्शाने वाला विवरण					
ब्यौरा	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	0.86	0.55	0.47	0.40	0.27
उत्पादन (लाख टन में)	67.24	41.39	36.45	29.56	22.14
उपज (टन/ हेक्टेयर)	78.19	75.25	77.56	73.89	80.53

स्त्रोत:- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

अनुबंध II

लोक सभा में दिनांक 2.04.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5241 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

चीनी मौसम	(रुपये प्रति क्विंटल)	मूल रिकवरी दर
2019-20	275	10%
2020-21	285	10%
2021-22	290	10%
2022-23	305	10.25%
2023-24	315	10.25 %
2024-25	340	10.25 %